संख्या-**364**/2023/आई/**302805**/001-41-1002-001-190-2021-270-Budget-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक** 18 **अप्रैल**, **2023**

विषय:- जनपद गोण्डा में स्थित महर्षि यमदग्नि आश्रम-जमथा, महादेव श्री चन्द्रेश्वर नाथ मंदिर-चन्दापुर तथा मां बरही त्री भवानी मंदिर-बेलसार के पर्यटन विकास हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-9973/6-1-1/(यू0सी0/रा0यो0) /2022-23, दिनांक 24.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा में स्थित महर्षि यमदग्नि आश्रम-जमथा, महादेव श्री चन्द्रेश्वर नाथ मंदिर- चन्दापुर तथा मां बरही त्री भवानी मंदिर-बेलसार के पर्यटन विकास हेतु शासनादेश संख्या-12/2022/आई/129553/41-1002(001)/190/2022-270(बजट)/2021, दिनांक 05.01.2022 एवं शासनादेश संख्या-396/2022/आई/184037/001-270-Budget-2021, दिनांक 29.06.2022 द्वारा अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

(रूपये लाख में)

क्र0	प्रायोजना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति	द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति	कुल अवमुक्त धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	जनपद गोण्डा के तहसील-तरबगंज स्थित महर्षि यमदग्नि आश्रमजमथा- का पर्यटन विकास।	31.04 लाख + जी0एस0टी0	05.00	23.00	28.00
2.	जनपद गोण्डा के तहसील-तरबगंज स्थित महादेव श्री चन्द्रेश्वर नाथ मंदिरपुरचन्दा - का पर्यटन विकास।	45.22 लाख + जी0एस0टी0	05.00	32.00	37.00
3.	जनपद गोण्डा के वि0ख0-बेलसर में स्थित मां बरही त्री भवानी मंदिर-बेलसर का पर्यटन विकास।	33.05 लाख + जी0एस0टी0	05.00	24.00	29.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तत्पश्चात शासनादेश संख्या-92/2023/आई/273501/41-1002-001-190-2021-002-270-Budget-2021, दिनांक 11.02.2023 द्वारा जी0एस0टी0 मद में सम्भावित/प्रस्तावित व्यय के सापेक्ष तीनों परियोजनाओं हेतु जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप में जमा की गयी कुल धनराशि रू0 7,20,000.00 (रू0 सात लाख बीस हजार मात्र) निर्गत की गयी है।

3- पर्यटन निदेशालय के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 24.03.2023 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पत्र दिनांक 23.03.2023, दिनांक 09.11.2022 तथा 07.11.2022 की प्रति के साथ तीनों परियोजनाओं की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अनुबन्ध पत्र के साथ अवशेष धनराशि की मांग की गयी है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीनों परियोजनाओं हेतु उपलब्ध करायी गयी निविदा लागत पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज तथा 01 प्रतिशत लेबर सेस जोड़ते हुए कुल धनराशि में से निर्गत धनराशि को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	प्रायोजना का नाम	निविदा धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	निविदा लागत के आधार पर सेन्टेज, लेबर सेस सहित कुल धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	जनपद गोण्डा के तहसील-तरबगंज स्थित महर्षि यमदग्नि आश्रमजमथा- का पर्यटन विकास।	26.67	28.00	30.27	02.27
2.	जनपद गोण्डा के तहसील-तरबगंज स्थित महादेव श्री चन्द्रेश्वर नाथ मंदिर - पुरचन्दा का पर्यटन विकास।	38.44	37.00	43.63	06.63
3.	जनपद गोण्डा के वि0ख0-बेलसर में स्थित मां बरही त्री भवानी मंदिरबेलसर- का पर्यटन विकास।	28.54	29.00	32.40	03.40

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 05.01.2022, दिनांक 29.06.2022 व दिनांक 11.02.2023 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है तथा निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो तथा निविदा लागत के सापेक्ष लेबर सेस, सेन्टेज, जी0एस0टी0 वास्तविक एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय का नियमानुसार अनुमन्य भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यकता से अधिक धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नही करायी जायेगी।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था**,** पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 12,30,000 (रूपये बारह लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 के लेखाशीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023**,** दिनांक-17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय**,**

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन**,** लखनऊ ।
4. आयुक्त, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
5. निदेशक**,** उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(UPNEDA)**, लखनऊ**,** उ0 प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. जिलाधिकारी, गोण्डा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 8 व 10 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।